229/अ.   1907/11

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु.   Rs 10000

10000 रु.   Rs.10000

10000रु. Rs.10000 दस हजार रुपये   10000रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु.   सत्यमेव जयते   Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

71

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

060448

21 DEC 2010

<u>विक्रय विलेख</u>

प्रतिफल की धनराशि– रू0 7,24,402/–

बाजारू मूल्य – रू0 3,17,250/–

अदा किये गये जनरल स्टैम्प– रू0 50,750/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – बिजनौर
3. ग्राम – निजामपुर गाडिगवां

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs 10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

060449

- 2 -

4. सम्पत्ति का विवरण– भूमि खसरा संख्या 343मि0 रकबा 0.282 है0. का 1/2 भाग अर्थात 0.141 हेक्टेअर स्थित ग्राम–निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5.	मापन की ईकाई	–	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल–		0.141 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	–	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीदपथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	–	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	–	नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 282954

FEB 2011

10. बोरिंग / कुआं अन्य— कुछ भी नहीं है।

चौहद्दी खसरा नं0 343मि.

उत्तर : खसरा नं0— 342

दक्षिण : खसरा नं0— 344,345

पूरब : खसरा नं0— 347

पश्चिम : खसरा नं0— 332,334

प्रथम पक्ष की संख्या— 2 : द्वितीय पक्ष की संख्या— 1

विक्रेतागण का विवरण	:	केता का विवरण
1. देवतादीन पुत्र लेक्खा 2.	:	काशी प्रसाद पुत्र विपाती निवासी—

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 282953

01 FEB 20

शिवकला पत्नी स्व0 गया प्रसाद निवासी– निजामपुर मझिगवाँ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	पूरे निधी का पुरवा, किलौली रायबरेली।
व्यवसाय– कृषि	व्यवसाय– व्यापार/नौकरी

यह विक्रय विलेख 1. देवतादीन पुत्र लेक्खा 2. शिवकला पत्नी स्व0 गया प्रसाद निवासी– निजामपुर मझिगवाँ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है एवम् काशी प्रसाद पुत्र विपाती निवासी– पूरे निधी का पुरवा, किलौली रायबरेली जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 282955

गया। क्रेता व विक्रेतागण शब्द के अन्तर्गत उनके विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान व निष्पादकगण आदि सम्मिलित है।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 343मि रकबा 0.282 हे0, का 1/2 भाग अर्थात 0.141 हेक्टेअर स्थित ग्राम–निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी कम संख्या 00090 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेतागण को उक्त भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 255047

03 FEB 2017

अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा केता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग, पट्टे, भूदान व ग्राम समाज की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 255049

03 FEB 2011

ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 **7,24,402/–**(रू0 सात लाख चौबिस हजार चार सौ दो मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त केता द्वारा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH M 176941

विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त केता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विकय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विकयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा केता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विकयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 255048

लिए केता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब केता विकयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगें। विक्रेतागण व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेगें और यदि विकयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण केता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो केता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 801584

वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   AK 801585

होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम निजामपुर मझिगवां अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 22,50,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.141 हेक्टेअर की मालियत रू0 3,17,250/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 50,750/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH X 415451

भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय, खड़ंजा मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय केता द्वारा वहन किया गया है।

विक्रय पत्र

724,402.00/	318,000.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री देवतादीन

पुत्र श्री लेक्खा

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी निजामपुर मझिगवाँ पर0 विजनौर लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 7/2/2011 समय 6:22PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

7/2/2011

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री देवतादीन
पुत्र श्री लैक्खा
पेशा कृषि
निवासी निजामपुर मझिगवाँ पर0 विजनौर लखनऊ

श्रीमती शिवकला
पत्नी श्री स्व0मया प्रसाद
पेशा गृहिणी
निवासी निजामपुर मझिगवाँ पर0 विजनौर लखनऊ

क्रेता

श्री काशी प्रसाद
पुत्र श्री बिपाती
पेशा कृषि
निवासी पू निधी का पुरवा किलौली रायबरेली

सत्यमेव जयते

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने केता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 **3,62,201** /– द्वारा चेक संख्या– 293657 दिनांकित 07.02.2011 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केता से प्राप्त हुए।
2. विक्रेता को रू0 **3,62,201** /– द्वारा चेक संख्या– 293658 दिनांकित 07.02.2011 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य रू0 **7,24,402** /–(रू0 सात लाख चौबिस हजार चार सौ दो मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करता है तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेतागण को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊः

दिनांक : 07.02.2011

गवाह :

1. [illegible]

2. [illegible]

विक्रेता

केता

टाईपकर्ताः–

(लवलेन्द्र सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ताः–

(धीरज प्रताप सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री पंकज झा
पुत्र श्री रामनरेश झा लालबाग लखनऊ
पेशा व्यापार
निवासी

व श्री सत्य प्रकाश
पुत्र श्री रामलखन मिश्रा
पेशा व्यापार
निवासी निलमथा लखनऊ
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
7/2/2011

ग्राम नियामपुर मलिगवाँ परगना बिजनौर तह.

खसरा नं 343

रकबा 0.141 हे.

जिला लखनऊ

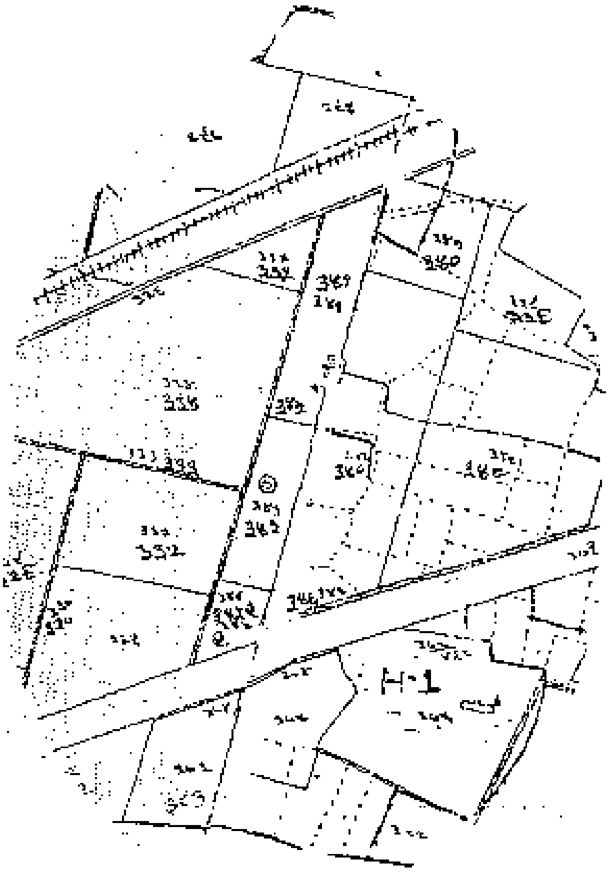

देवतादीन

विक्रेता शिवकला

काशीप्रसाद

क्रेता

विक्रेता

Registration No.: 1907 Year : 2,011 Book No. : 1

0101 देवतादीन

लेखा

निजामपुर मझिगवाँ पर० बिजनौर लखनऊ

कृषि

0102 शिवकला

स्व०गया प्रसाद

निजामपुर मझिगवाँ प०० बिजनौर लखनऊ

गृहिणी

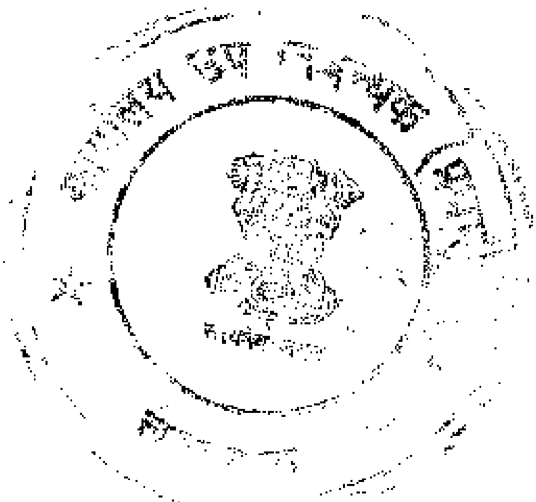

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पताः– देवतादीन पुत्र लेक्खा निवासी– निजामपुर मझिगवाँ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

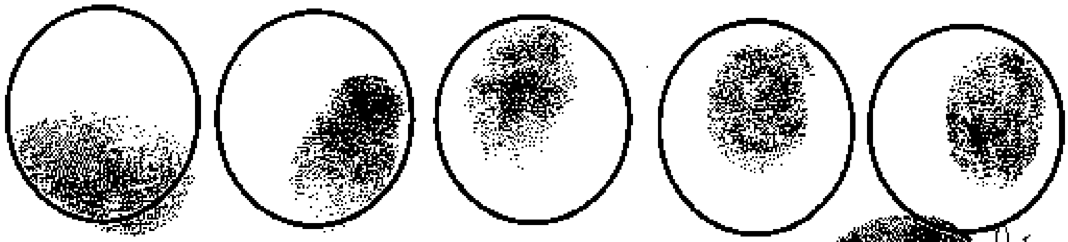

विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम व पताः– शिवकला पत्नी स्व0 गया प्रसाद निवासी– निजामपुर मझिगवाँ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

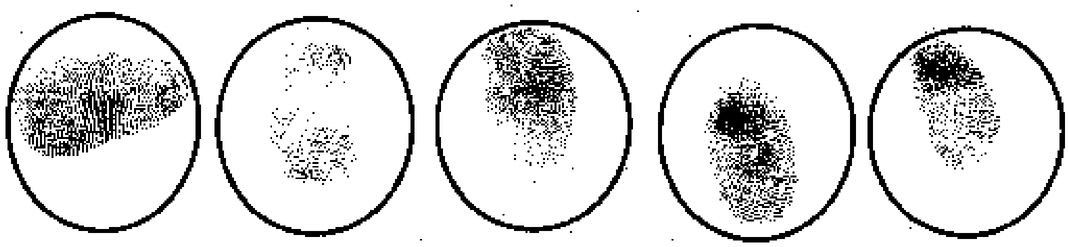

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

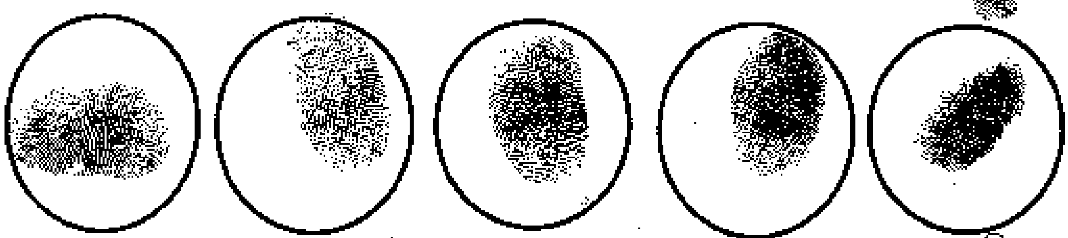

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. : 1907 Year : 2,011 Book No. : 1

0201 काशी प्रसाद

त्रिपाठी

ए निधी का पुरवा किलौली रायबरेली

कृषि

क्रेता का नाम व पता:– काशी प्रसाद पुत्र विपाती निवासी– पूरे निधी का पुरवा, किलौली रायबरेली।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

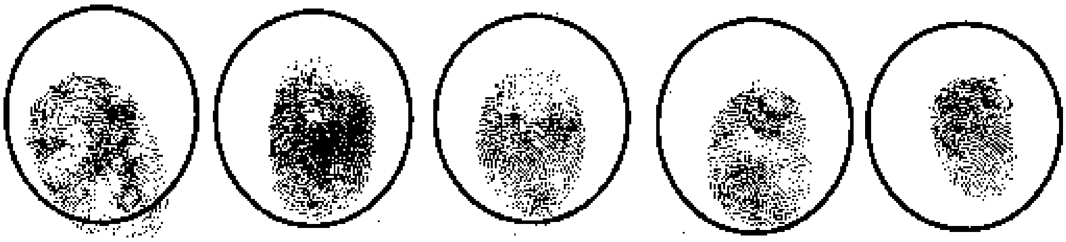

काशीप्रसाद

[illegible]स्ताक्षर

आज दिनांक 07/02/2011 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 12414

पृष्ठ सं. 55 से 86 पर क्रमांक 1907

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

7/2/2011